# न्यायालय – उपजिलाधीश लालसोट जिला दौसा (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 2021 / 295 : दिनांक रजू – 25.07.2024

पीठासीन अधिकारी लालसोट : नरेन्द्र मीना, आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी,

1. घासीलाल पुत्र पून्या
2. हंसराज पुत्र पून्या

जाति बैरवा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा चक

बनाम्

राज० सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट ।

(अप्रार्थी)

## निर्णय

दिनांक 29/7/2024

उपस्थित: – प्रार्थी स्वयं उपस्थित

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ग्राम रघुनाथपुरा चक नं. 02 तहसील लालसोट जिला दौसा का रहने वाला हैं । आराजी ख.नं. 30 / 24 रकबा 2.4150 खसरा नम्बर 31 / 24 रकबा 2.4150 हैक्टयर, कृषि भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा चक नं. 2 पटवार हल्का देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है।

यह है कि खसरा नं. 19 / 2 / 1 वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है जिसके दक्षिण दिशा में 19 / 2 / 1 तथा पूर्व दिशा में 19 / 2 / 2 का अंकन पुराने राजस्व नक्शे में किया गया है तथा वर्तमान मौके पर भी वादीगण अपने खातेदारी भूमि 19 / 2 / 1 अनुसार काबिज है तथा 19 / 2 / 2 पूर्व में विरदा पुत्र गोपी के नाम दर्ज थी तथा तदानुसार ही बिरदा पुत्र गोपी आज भी काबिज है।

यह है कि कालान्तर में वादीगण की भूमि के नम्बर जरिये शुद्विकरण दिनांक 19.01.2009 खसरा नम्बर 19 / 2 / 1 को 26 / 19 के रूप में शुद्व कर दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीयान ने अपनी 19 / 2 / 1 (26 / 19) का विभाजन सहमति से खसरा न. 26 / 19 / 1, 26 / 19 / 2 के तौर पर कर लिया तथा मौके पर पूर्वनुसार काबिज भूमि का विभाजन कर लिया है।

यह है कि विगत दिनो सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सर्वे कर कृषि भूमि के राजस्व नक्शे नवीन तरीके से तैयार किये जिसमें प्रार्थीयान की भूमि के राजस्व नक्शे तथा खसरा नम्बरान को मौके के विपरित दर्ज हुए है। प्रार्थीयान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि बाबे राजस्व नक्शे मे खसरा नं. 24 / 28 की नवीन तरमीम जो राजस्व रिकार्ड एव मौके के विपरित है।

उपरोक्त समस्त प्रकार के तथ्यो को देखते हुए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती नक्शा तरमीम अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट के तहत प्रस्तुत कर वर्तमान आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज.)

न. 30/24 रकबा 2.4150 हैक्टयर व खसरा नं. 31/24 रकबा 2.4150 हैक्टयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा चक नं. 2 पटवार हल्का देवली तहसील लालसोट में स्थित वादी की कृषि भूमि के नवीन नक्शा ट्रेस में की गई अवैध तरमीम को पूर्ववर्ती राजस्व नक्शा एवं जमाबन्दी को मौके के अनुसार दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार लालसोट से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली में शामिल की गई।

मुताबिक तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट के अनुसार–

यह है कि पूर्व लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम अनुसार पश्चिम दिशा में खसरा नं. 19/2/1 तथा पूर्व दिशा में खसरा नं. 19/2/2 दर्ज रिकार्ड है। कालान्तर में वादीगण की भूमि के नम्बर जरिये शुद्धिकरण दिनांक 1.01.2009 से खसरा नं. 19/2/1 को 26/19 के रूप में शुद्ध कर दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीगण ने अपनी 19/2/1 (26/19) का विभाजन सहमति से खसरा नं. 26/19/1, 26/19/2, 26/19/3 के तोर पर कर लिया व जिस पर पूर्व दिशा में घासी पुत्र पुन्या बैरवा एवं पश्चिम में हंसराज पुत्र पुन्या बैरवा तथा कुए पर शामिल रूप से विभाजन कर काबिज काश्त है। यह है कि विगत दिनों सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे कर कृषि भूमि का राजस्व नक्शा नवीन तरीके से तैयार किये गये जिसमें प्रार्थीयान की भूमि की तरमीम पूर्व लट्ठा नक्शे से भिन्न है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य प्रार्थी के विखण्डन मे ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली मे नही होने के कारण हल्का पटवारी एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट में भी तरमीर दुरूस्ती उचित बतायी है साथ ही प्रार्थी के अभिवचन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रकट नही होता हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को प्रार्थी के हक मे स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं ।

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान तरमीम निरस्त कर आराजी खसरा नं. 30/24 रकबा 2.4150 हैक्टयर व खसरा नं. 31/24 रकबा 2.4150 हैक्टयर वाकै ग्राम रघुनाथपुरा चक नं. 2 पटवार हल्का देवली तहसील लालसोट को मुताबिक लट्ठा नक्शा, पूर्व की तरमीम तथा सहमति विभाजन के अनुसार तरमीम को दुरूस्त कर कायम किया जाकर राजस्व नक्सा ट्रेस मे शुद्धिकरण किया जावें । इस आशय की तहरीर पालनार्थ तहसीलदार लालसोट को जारी हों । निर्णय मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हों ।

नरेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपजिला मजिस्ट्रेट लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज.)